क्रमांकः–स्था. / 2024 / 356 दिनांकः 19 / 06 / 2024

कार्यालय–आदेश

श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के पत्रांक 799 दिनांक 20.05.2024 की अनुपालना में जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, धौलपुर में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक व पदनाम	समिति
1	श्रीमती रीतारानी अग्रवाल, सूचना सहायक	अध्यक्ष
2	श्रीमती कुसुम कुमारी, सूचना सहायक	सदस्य
3	श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल, प्रोग्रामर	सदस्य
4	श्री अमित मित्तल, सहायक प्रोग्रामर	सदस्य

यह समिति जिला कार्यालय एवं अधीनस्थ ब्लॉक कार्यालयों में यौन उत्पीडन की शिकार कामकाजी महिलाओं की शिकायतों का निवारण / क्षतिपूर्ति से संबन्धित निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी।

- सभी शिकायतों को एक स्थाई रजिस्टर में अंकित कर उसका लेखा–जोखा रखना।
- प्रत्येक शिकायत के निवारण संबंधी विवरण को संक्षेप में रजिस्टर में अंकित करना।
- प्रत्येक शिकायत का समयबद्व निवारण सुनिश्चित करना।

सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
धौलपुर

क्रमांकः–स्था. / 2024 / 356 दिनांकः 19 / 06 / 2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
2. श्रीमान संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग धौलपुर।
3. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, धौलपुर।
4. सम्बन्धित कार्मिकों को पालनार्थ।
5. आदेश पत्रावली।

सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)

RajKaj Ref
8165172

Signature valid
Digitally signed by Prahlad Kumar Agrawal
Designation : Programmer
Date: 2024.06.19 14:29:58 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

क्रमांक :– म.अ.वि. / धौ0 / पीओएसएच / 799 दिनांक:– 20-05-2024

समस्त जिला **स्तरीय अधिकारीगण,**
जिला धौलपुर।

विषयः– कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत आन्तरिक शिकायत समितियों के गठन एवं मासिक रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु।

प्रसंगः– अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की अध्यक्षता में महिला अपराधों की सघन मॉनिटरिंग हेतु आयोजित बैठक दिनांक 17.05.2024 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर प्रदत्त आदेशों, माननीय राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य सरकार, निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 06.05.2024 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में प्रदत्त निर्देशों की पालना में इस कार्यालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समितियों के गठन हेतु पूर्व में जारी आदेशों की निरंतरता में निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं:–

1. जिन कार्यालयों में उक्त समितियो का गठन हो गया है, उनमें कार्मिकों के **स्थानांतरण** आदि **कारणों से समिति के सदस्यों में परितर्वन वांछनीय है, तो अविलंब संशोधित गठन** आदेश जारी कर प्रेषित किये जावें एवं **यदि परिवर्तन वांछनीय नहीं है तो इस संबंध में प्रमाण पत्र** प्रेषित किया जावे। उक्त कार्यवाही दिनांक 31.05.2024 तक पूर्ण की जावे।

2. जिन कार्यालयों में उक्त समितियों का गठन नहीं हुआ है, वे **अविलम्ब अधिनियम के अनुसार समितियों का गठन कर दिनांक 31.05.2024 तक** गठन आदेश प्रेषित करें।

RajKaj Ref
7334802

Signature valid

Digitally signed by Sreenidhi B T
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2024.05.20 17:03:04 IST
Reason: Approved

3. सभी आंतरिक समितियों द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में **मासिक रिपोर्ट आपने जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से प्रतिमाह की 05 तारीख तक** आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे

(प्रारूप रिपोर्ट)

माह का नाम	कार्यालय का नाम	माह में प्राप्त लैंगिक उत्पीडन की शिकायतों की संख्या	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका निस्तारण किया गया	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है।	लैंगिक उत्पीडन के क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	नियोक्ता या जिला अधिकारी (कलक्टर) द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप

4. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की **धारा 19 (क) एवं 19 (ख) के तहत नियोजक द्वारा की गई कार्यवाही की** रिपोर्ट संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी के माध्यम से दिनांक 31.05.2024 तक इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।
(धारा 19क :– प्रत्येक नियोजक, कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है)
(धारा 19ख :– प्रत्येक नियोजक, लैंगिक उत्पीडन के शास्तिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।)

उक्त सभी गठन आदेश/रिपोर्ट ईमेल आईडी dholpur.we@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार।

(श्रीनिधि बीटी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर।

RajKaj Ref
7334802

Signature valid
Digitally signed by Sreenidhi B T
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.05.20 17:03:04 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

क्रमाक / मअवि / 2023–24 / 1668

दिनांकः– 24.12.2023

–:: आदेश ::–

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 2482 / 2014 ऑरिलिआनों फर्नाडिश बनाम गोवा राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2023 एवं सिविल अपील संख्या 1224 / 2017 इनिशिएटिव्स फॉर इन्क्लूजन फाउंडेशन बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023, श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ16(4)(5) / निमअ / यौन.उत्पी. / 2022 / 22106–22156 जयपुर दिनांक 20.12.2023, श्रीमान् शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक :एफ16(4)(5) / निमअ / यौन.उत्पी. / 2022 / 13290–350 जयपुर दिनांक 04.08.2023 एवं भारत के मुख्य सचिवों की द्वितीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस दिनांक 5–7.01.2023 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक समितियों के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

क्र.सं.	निर्देश	समय–सीमा	प्रभारी अधिकारी
1	जिले में विभाग से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों, उपक्रमों, संगठनों, स्थापनो, उद्यमों, संस्थाओं, संस्थानों, निकायों, राजकीय संगठनों, जो सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / सरकारी कम्पनी / निगम / सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या भागतः, उसके प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं, जिनमें कार्मिकों की संख्या 10 या उससे अधिक है, में अधिनियम के अनुरूप आंतरिक समितियों का गठन करवाना एवं महिला अधिकारिता विभाग को ई–मेल आईडी dholpur.we@rajasthan.gov.in पर सूचित करना।	31.12.2023	संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी या वह नहीं होने पर विभाग का जिले का वरिष्ठतम अधिकारी / कर्मचारी।
2	सभी गैर–राजकीय विद्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, प्रशिक्षण केन्द्र, कोचिंग संस्थान, खेलकूद स्थल / संस्थान / स्टेडियम / कॉम्प्लेक्स, प्रतिस्पर्धा या क्रीडा का स्थान, उद्यम, उपक्रम, फर्म, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर–सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य या वित्तीय कियाकलाप करता है एवं ऐसे अन्य कार्यस्थल जो कि अधिनियम की धारा 2(o) या 2(ण) में उल्लेखित हैं, जिनमें कार्मिकों की संख्या 10 या उससे अधिक है, में अधिनियम के अनुरूप आंतरिक समितियों का गठन करवाना एवं महिला अधिकारिता विभाग को ई–मेल आईडी dholpur.we@rajasthan.gov.in पर सूचित करना।	05.01.2024	1. संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी या वह नहीं होने पर विभाग का जिले का वरिष्ठतम अधिकारी / कर्मचारी। 2. संबंधित ब्लॉक का उपखण्डाधिकारी
3	अपने विभाग के सभी कार्यालयों की सूची मय कार्यालयाध्यक्ष	28.12.2023	संबंधित वि[illegible] का जिला स्तरीय

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2023.12.24 12:50:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5221127

	का नाम, मोबाईल नंबर एवं कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की संख्या की सूची जिला कलेक्टर को ई–मेल आईडी dholpur.we@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराना		अधिकारी या वह नहीं होने पर विभाग का जिले का वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी।
4	आंतरिक समितियों से संबंधित सूचना, समिति के पदाधिकारियों के नाम, फोन/मोबाइल नंबर, ई–मेल आईडी, ऑनलाईन शिकायत की प्रकिया तथा संबंधित कानूनी प्रावधानो की जानकारी अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं समय–समय पर अपडेड करना अथवा यदि उक्त कार्यवाही जिले से बाहर स्थित मुख्यालय/निदेशालय आदि से संबंधित है, तो तदनुरूप आवश्यक पत्राचार करना।	05.01.2024	बिन्दु संख्या 01 एवं 02 से संबंधित प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी
5	आंतरिक समिति के सदस्यों को नियोक्ता के माध्यम से उनके कर्त्तव्यों, कार्यप्रणाली, शिकायत जांच की प्रकिया, रिपोर्ट भिजवाने आदि के संबंध में जानकारी देना	10.01.2024	बिन्दु संख्या 01 एवं 02 से संबंधित प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी
6	समाचार पत्रों, इलैक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार	नियमित	सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, धौलपुर
7	जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शंका समाधान, जागरूकता कार्यक्रम, आमुखीकरण कार्यशाला आदि का आयोजन	नियमित	1. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 2. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर
8	सूचना प्रबंधन एवं जिला स्तर पर समन्वय करना	नियमित	सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, धौलपुर

संलग्नः– 1. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदया का प्रासंगिक पत्र।
2. इस कार्यालय का पत्रांक म.अ.वि./धौ0/2023/पीओएसएच/795–803 दिनांक 11.07.2023।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

क्रमाक/मअवि/2023–24/ 1669-1679 दिनांकः– 24.12.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. **श्रीमान शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर।**
2. **श्रीमान आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।**
3. **सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।**
4. **अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर/प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा/सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट, धौलपुर।**
5. **समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण, धौलपुर।**
6. **समस्त उपखण्डाधिकारीगण, धौलपुर।**
7. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त कार्यालय, धौलपुर।**
8. **सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, धौलपुर।**

RajKaj Ref
5221127

Signature valid
Digitally signed by Anil Kumar Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2023.12.24 1[illegible]:50:54 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक :– म.अ.वि. / धौ0 / 2023 / पीओएसएच / 795-803 दिनांकः– 11.07.2023

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर।
2. उपखण्डाधिकारी धौलपुर / बाडी / बसेडी / राजाखेडा / सैपऊ / सरमथुरा।
3. सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।
4. तहसीलदार धौलपुर / बाडी / बसेडी / राजाखेडा / सैपऊ / सरमथुरा / मनियां।
5. कोषाधिकारी / जिला रसद अधिकारी धौलपुर।
6. उपतहसील बसईनबाब / कचंनपुर / मरैना / जारगा।
7. उपकोषाधिकारी बाडी / बसेडी / राजाखेडा / सैपऊ
8. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण धौलपुर।
9. प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर।

विषयः– कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत आन्तरिक शिकायत समितियों के गठन हेतु।

प्रसगः– श्रीमान् शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर का अर्द्धशासकीय पत्रांक एफ.16(1)(198)डीब्ल्यूई / एसएच / क्यूपीआर / 2013 / 9613 दिनांक 28.06.2023 एवं आयुक्त महिला अधिकारिता महिला संरक्षण प्रकोष्ठ राज. जयपुर के पत्रांक एफ16(4)(5) / निमअ / यौन.उत्पी. / 2022 / 44789–44821 दिनाक 06.01.2023 एवं कार्यालय का पत्रांक समसंख्यक 222–96 दिनांक 20.01.23

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों द्वारा जिले के समस्त कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं–महाविद्यालय / विद्यालयो एवं चिकित्सालयों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत आन्तरिक शिकायत समितियों के गठन करने के निर्देश दिये जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत कराने के संबंध में लिखा गया था, परन्तु वांछित सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करावेंः–

Signature valid

Digitally signed by A[illegible]umar Agrawal
Designation : Colle[illegible] & District Magistrate
Date: 2023.07.[illegible]:16:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4247906

1. जिले के **10 या 10 से अधिक कार्मिकों वाले सभी निजी एवं राजकीय कार्यालयों** में अनिवार्य रूप से आंतरिक शिकायत समितियां गठित की जावे एवं गठन आदेश की प्रति इस कार्यालय को **तीन दिवस** के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवायी जावे।
2. समिति के सभी सदस्यों का विवरण मय दूरभाष नंबर कार्यालय के सुलभ स्थल पर प्रदर्शित किया जावे।
3. जिन कार्यालयों में समितियों का गठन अधिनियम के अनुरूप नहीं हुआ है या जिन कार्यालयों में समितियों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, वहां नवीन समितियों का अविलम्ब गठन किया जावे एवं इस कार्यालय को सूचना भिजवायी जावे।
4. नियोक्ता द्वारा आंतरिक समितियों के संबंध में अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत निर्धारित कार्यों एवं दायित्वों का पालन किया जावे तथा कार्यशालाएं आदि आयोजित की जावें।
5. आंतरिक शिकायत समितियों द्वारा अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवादों / शिकायतों का निस्तारण एवं अन्य कार्यवाही की जावे।
6. आंतरिक शिकायत समितियों द्वारा प्रतिवर्ष निम्नलिखित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट नियोक्ता, स्थानीय समिति एवं इस कार्यालय को प्रेषित की जावे:–

आन्तरिक शिकायत समिति

(प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट)

वित्तीय वर्ष अप्रेल–मार्च	कार्यालय का नाम	वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीडन की शिकायतों की संख्या	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका निस्तारण किया गया	ऐसे मामलो की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है।	लैंगिक उत्पीडन के क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	नियोक्ता या जिला अधिकारी (कलक्टर) द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप

7. संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित उपखण्डाधिकारी द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के समस्त कार्यालयों की आंतरिक शिकायत निवारण समितियों से सूचनाएं भिजवाया जाना सुनिश्चित कराया जावेगा।
8. वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट **सात दिवस** के अन्दर भिजवायी जाना सुनिश्चित की जावे।

सुलभ संदर्भ हेतु समिति महिलओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, नियम एवं दिशा–निर्देशों के तहत गठित आंतरिक शिकायत समितियों के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

अ. गठन :–

आंतरिक शिकायत समिति का अधिनियम की धारा 4(1) के तहत एवं निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग जयपुर के परिपत्र एफ16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/65765 जयपुर दिनांक 30.12.2013 के अनुसार नियोक्ता द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा:–

Signature valid

Digitally signed by A... Kumar Agrawal
Designation : Collec... & District Magistrate
Date: 2023.07.... 16:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 4247906

(क) अध्यक्ष या पीठसीन अधिकारी के पद पर ऐसी महिला का नामांकन किया जाए जो उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत हो। यदि ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो संबंधित संस्था के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाईयों में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जाएगा। यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक इकाईयों में भी ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो उस नियोक्ता के अन्य कार्यस्थलों अथवा विभाग अथवा संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जावे।

(ख) कम से कम दो सदस्यों को उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से नामांकित किया जावे जो महिलाओं से संबंधित विषयों के प्रति कार्य करने में पर्याप्त अनुभवी एवं समर्पित हों तथा जिनको सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी हो।

(ग) एक सदस्य को ऐसी स्वयं सेवी संगठनों में से नामित किया जावे जो महिलाओं के विषयों के प्रति समर्पित हो एवं ऐसा व्यक्ति यौन शोषण के मुद्दे में पर्याप्त जानकारी रखता हो।

बशर्ते कि उपरोक्तानुसार नामित सदस्यों में से कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

ब. कार्यकालः–

अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से नियोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार (अधिकतम 3 वर्ष) किया जाएगा।

स. पद से हटाया जानाः–

अधिनियम की धारा 4(5) के अनुसार जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य (1) धारा 16 के उपबंधों का उल्लघन करता है या (2) किसी अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है या उसके विरूद्व तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी अपराध की काई जाच लंबित है या (3) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरूद्व कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है या (4) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है, वहा यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को अधिनियम के अंतर्गत नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

द. मानदेय / भत्तेः–

स्वयं सेवी संगठनों में से नामित सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही के आयोजन के लिए मानदेय / भत्ते तथा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम 2013 के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया जावेगा।

संलग्न – 1. प्रासंगिक अर्द्धशासकीय पत्र।

Signature valid
Digitally signed by A[illegible] Kumar Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2023.07.[illegible] 16:20 IST
Reason: Approved

2. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013
3. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम 2013
4. आंतरिक शिकायत समितियों हेतु महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र
5. आंतरिक शिकायत समिति का गठन प्रारूप।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

क्रमांक :– म.अ.वि./धौ0/2023/पीओएसएच/804-812 दिनांकः– 11/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् आयुक्त, निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर धौलपुर।
5. प्रभारी, न्याय एवं विधि अनुभाग, धौलपुर।
6. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर।
7. सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर।
8. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धौलपुर।
9. संबंधित पत्रावली।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]umar Agrawal
Designation : Colle[illegible] & District Magistrate
Date: 2023.07.[illegible]:16:20 IST
Reason: Approve[illegible]

..endra Kumar Upadhyay
I.A.S.
Secretary

..तेन्द्र कुमार उपाध्याय, आई.ए.एस.
शासन सचिव

Department of
Women & Child
Government of Rajasthan

महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान सरकार

D.O. No. F.16(1)(198)DWE/SH/QPR/2013 | 9613
Dated. 28.6.2023

प्रिय अनिल जी,

जैसा कि आपको विदित है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी/गैर सरकारी संस्थान जिनमें 10 या अधिक कार्मिक कार्यरत है में आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है। इसके क्रम में आपका ध्यान दिनांक 5–7 जनवरी 2023 को आयोजित मुख्य सचिवों के द्वितीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स की ओर आकृष्ट करना चाहुगा जिसमें निर्णय लिया गया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय समितियों एवं आंतरिक समितियों को 8 जनवरी 2024 तक पूर्णतः कार्यशील बनाना हैं। अतः उक्त लक्ष्य की पुर्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

1. आपके जिले में 10 या 10 से अधिक कार्मिको वाले निजी एवं सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से आंतरिक समितियां गठित करवायी जाए।
2. नवीन गठित आंतरिक समितियों व अब तक गठित आंतरिक समितियों की जिलेवार प्रगति की सूचना निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग को भिजवाया जाए।
3. जिले में अब तक गठित स्थानीय समिति एवं आंतरिक समितियाँ कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है या नही, इन समितियों की नियमिति बैठके हो रही है अथवा नही इन समितियों का पूर्ण विवरण तैयार कर भिजवाया जाए।
4. दिनांक 08.01.2024 तक 10 या 10 से अधिक कार्मिको वाले निजी एवं सरकारी कार्यालयों में गठित स्थानीय समिति एवं आंतरिक समितियों को कार्यशील करने हेतु कार्य योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाए।
5. गठित स्थानीय समितियों व आंतरिक समितियों की जिलेवार त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की सूचना निदेशालय महिला अधिकारिता को भिजवाया जाए।

सादर।

शुभेच्छु

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)

श्री अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट,
धौलपुर।

Room No. 5008, Main Building, Government Secretariat, Jaipur-302005
Phone : +91-141-2227238 • Email : secretary.wcd@rajasthan.gov.in

कमरा नं. 5008, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005 (राजस्थान) • फोन नं. +91-0141-2227238